सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

**पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **47/2018** दायर दिनाँक **12.02.2018**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. गणपतराम पुत्र लादुराम जाति गुर्जर निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. हरदेवाराम पुत्र लादुराम जाति गुर्जर निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>2. तहसीलदार/उप पंजीयक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.**

**उपस्थित:–**

1. श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पुनिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 दोनों सगे भाई है तथा अलग अलग ही रहते व कमाते खाते है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 की पैतृक खातेदारी का खेत खसरा सं0 583 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 577 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद नन्दाबासनी में अवस्थित है। खसरा सं0 577 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा में वादी का नाम आया हुआ है तथा खसरा सं0 583 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा में प्रतिवादी हरदेवाराम का नाम आया हुआ है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान में राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल व गलती के कारण खसरा सं0 577 जो कि मौके पर 25 बीघा 09 बिस्वा है जिसे रेकर्ड में 27 बीघा 05 बिस्वा अंकित कर रखा है एवं खसरा सं0 583 जो कि मौके पर 27 बीघा 05 बिस्वा है जिसे राजस्व रेकर्ड में 25 बीघा 09 बिस्वा अंकित कर दिया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2018
दायर दिनाँक 12.02.2018, निर्णय दिनाँक 16.02.2018
गणपतराम बनाम हरदेवाराम, वगैरा।

खसरा सं0 577 पर वर्तमान में हरदेवराम पुत्र लादूराम का कब्जा काश्त है तथा उसी का मकान बना हुआ है व लादुराम की फौतगी के पश्चात इस खेत पर हरदेवराम का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु सहवन से खसरा नम्बर 577 जो कि मौके पर 25 बीघा 09 बिस्वा है पर हरदेवराम की जगह गणपतराम अंकित हो गया।

खसरा सं0 583 पर वर्तमान में गणपतराम पुत्र लादुराम का कब्जा काश्त है तथा उसी का मकान बना हुआ है व लादुराम की फौतगी के पश्चात इस खेत पर गणपतराम का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु सहवन से खसरा सं0 583 जो कि मौके पर 27 बीघा 09 बिस्वा है पर गणपतराम की जगह हरदेवराम अंकित हो गया है।

राजस्व रेकर्ड में एवं रकबे में सही नाप अंकित नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वर्तमान में सीमा विवाद होने व नकल खतौनी लेने से ज्ञात हुआ है कि उपर वर्णित खेतों में नाप व खातेदारी में अंकन गलत दर्ज हो रखा है। जिससे दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 577 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा जो कि मौके पर 25 बीघा 09 बिस्वा है कि खातेदारी प्रतिवादी हदेवराम के नाम अंकित की जाकर इस खेत का रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर 25 बीघा 09 बिस्वा अंकित किया जावें एवं खेत खसरा सं0 583 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा जो कि मौके पर 27 बीघा 05 बिस्वा है कि खातेदारी वादी गणपतराम के नाम अंकित की जाकर इस खेत का रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा के स्थान पर 27 बीघा 05 बिस्वा अंकित किया जावें एवं यह रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद में इकबलिया जवाब पेश किया। इकबालिया जवाब अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 01 को कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2018
दायर दिनाँक 12.02.2018, निर्णय दिनाँक 16.02.2018
गणपतराम बनाम हरदेवाराम, वगैरा।

इकबालिया जवाब के मुताबिक, पक्षकारान् दावा अनुसार डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम मण्डाबासनी सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना इकबालिया जवाब पेश कर दिया है। पक्षकारान् मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् के मुताबिक दावा डिक्री जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

**आदेश**

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी के खसरा सं0 577 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा जो कि मौके पर 25 बीघा 09 बिस्वा है कि खातेदारी प्रतिवादी हदेवराम के नाम घोषित की जाकर इस खेत का रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर 25 बीघा 09 बिस्वा घोषित किया जाता है तथा खेत खसरा सं0 583 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा जो कि मौके पर 27 बीघा 05 बिस्वा है कि खातेदारी वादी गणपतराम के नाम घोषित की जाकर इस खेत का रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा के स्थान पर 27 बीघा 05 बिस्वा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 16.02.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **47/2018** दायर दिनाँक **12.02.2018**

| **वादी** | | **प्रतिवादीगण** |
|---|---|---|
| 1. गणपतराम पुत्र लादुराम जाति गुर्जर निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | **बनाम्** | 1. हरदेवाराम पुत्र लादुराम जाति गुर्जर निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार/उप पंजीयक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.**

दिनाँक **16.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी, अधिवक्ता वादी व श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी के खसरा सं0 577 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा जो कि मौके पर 25 बीघा 09 बिस्वा है कि खातेदारी प्रतिवादी हदेवराम के नाम घोषित की जाकर इस खेत का रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर 25 बीघा 09 बिस्वा घोषित किया जाता है तथा खेत खसरा सं0 583 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा जो कि मौके पर 27 बीघा 05 बिस्वा है कि खातेदारी वादी गणपतराम के नाम घोषित की जाकर इस खेत का रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा के स्थान पर 27 बीघा 05 बिस्वा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..................
..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.02.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | – | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | – | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner